



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र

रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/रायपुर/चू०प०/३८ एम०पी०आर० २८०१६  
प्रति,

दिनांक:- १६/१०/२०१९

श्री सौरभ अग्रवाल, खान मालिक एवं पट्टेदार,  
पिता:- श्री गोपाल अग्रवाल,  
सी-६६, सेक्टर ४, देवेन्द्रनगर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़) - ४९२ ००४  
ईमेल- kapil.mining@yahoo.in / kapilmining@gmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी भालुकोना चूनापत्थर खदान २.७८५ हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक १७/०९/२०१९ को श्री केदार अग्रवाल एवं श्री शशांक अग्रवाल, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from approved Modified Mining Plan vide letter no. BBZR/LST/MPLN-1106/2017-RAIPUR dated 18/08/2017 for the period of 2017-18 to 2021-22: <b>Boundary Pillars:</b> Boundary Pillars are not been constructed and maintained as per specification mentioned in MCR, 2016. <b>Exploration:</b> F.Y. 2017-18; it was proposed to carry out 02 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 50 meters; whereas, none of boreholes have been drilled so far. <b>Backfilling:</b> There was a proposal given for backfilling at 7.5 meter barrier zone along lease boundary in between local co-ordinates S25 to S267 and E00 to E20. Whereas, backfilling has not been done so far. <b>Afforestation:</b> There was a proposal given for plantation of 250 nos. of plants during 2017-18. Whereas, none of the plants have been planted.
<b>Rule 26 (2)</b>	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18 and 2018-19.
<b>Rule 33</b>	Updated print copy of the surface geological Plan and Sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2017-18 and 2018-19.
<b>Rule 35</b>	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the year 2018-19 has not been submitted.
<b>नियम संख्या ४५ (१)</b>	खनन पट्टा धारक, या देश में खनन खनिजों के व्यापार या भण्डारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कम्पनी को, खुद को भारतीय खान ब्यूरो के साथ अनुसूची के प्रारूप-ट में निर्दिष्ट आवेदन के अनुसार करना होगा। ऑनलाईन पंजीकृत करने के लिए आवेदन रूप में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या को ऑनलाईन रिपोर्ट करने और पत्राचार से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा। आपके द्वारा निम्नांकित दर्शायी गई भारतीय खान ब्यूरो की एमटीएस वेबसाइट में <a href="https://mitra.ibm.gov.in/">https://mitra.ibm.gov.in/</a> आज दिनांक तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है।
<b>Rule 45 (7)</b>	<b>Annual Return 2018-19:</b> <b>Part IIA: Capital Structure</b> Value of Fixed Assets (in ₹) 2126989.00 has been given similar to the another mining lease i.e. 38MPR28016 (3.198 Ha.). <b>Part VI: Production, Dispatches And Stock</b> 2. Ex-mine price (in ₹ Per Tonne) 230.60 Per Metric Tonne is similar to the another mining lease i.e. 38MPR28016 (3.198 Ha.). <b>Part VII: Cost of Production:</b> Cost of Production (in ₹ Per Tonne) is similar for both mining leases i.e. (38CHG14022 & 38MPR28016)

कू०प००..२.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर